बाजार

पत्रावली पेश। [illegible] पत्रकार उपज

प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता

के विरुद्ध निर्णय प्रकरण में लिखा जाकर

पत्रावली [illegible] [illegible] पत्रावली के साथ

मुकाम के नम्बर में [illegible] पत्रावली दर्ज

[illegible] के साथ शामिल

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (कोटकासिम-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
99/2025	03.06.2025	09.07.2025

उनवान

1 तेजसिंह पुत्र स्व0 श्री मक्खनसिंह
2 दलीपसिंह पुत्र स्व0 श्री मक्खनसिंह
3 औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री मक्खनसिंह
4 औमवीर पुत्र स्व0 श्री मक्खनसिंह
5 धर्मवीर पुत्र स्व0 श्री मक्खनसिंह
6 रमेश बाई पुत्री स्व0 श्री मक्खनसिंह
7 संतोष देवी पत्नी स्व0 श्री दलीपसिंह
8 राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री दलीपसिंह
9 संजय पुत्र स्व0 श्री दलीपसिंह
10 अजय कुमार पुत्र स्व0 श्री दलीपसिंह
11 धर्मपाल पुत्र स्व0 श्री शिशपाल जातियान राजपुत निवासीयान ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

प्रार्थी –:

बनाम

1. वीरसिह पुत्र स्व0 श्री सवाईसिंह
2. गिरधारी पुत्र स्व0 श्री सवाईसिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री सवाईसिंह
4. प्रवेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सवाईसिंह
5. कुन्ती पत्नी स्व0 श्री बाबूलाल
6. संदीप पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल
7. रजनी पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
8. पूजा पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
9. पूनम पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल
10. नूनू पुत्री स्व0 श्री बाबूलाल जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर मुण्डावर अलवर राजस्थान।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राज. काश्तकारी अधिनियम,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

–: निर्णय :–

दिनांक :–09.07.2025

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त सार रहा कि –

1. यह है कि उक्त अनुवान का दावा पूर्णवाकैआत के साथ अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है जिसमे प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है। प्रार्थना पत्र की दावा हाजा का जुज समझ साथ में पढ़ा जाये।
2. यह है कि पेश कर्दा दस्तावेजात व शपथ पत्र प्रार्थीगण से प्रार्थीगण का केस पृथम दृष्टया पूर्णतया प्राईमाफेसाई आयद यो साबित है।
3. यह है कि खाता संख्या–100 मे वर्णित आराजी खसरा संख्या–198 रकबा 0. 5300 है० व खाता संख्या–101 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–142 रकबा 0. 6300, 172 रकबा 0.6400, 175 रकबा 0.7800, 197 रकबा 0.5600, 199 रकबा 1.0900, 209 रकबा 0.3800, 210 रकबा 0.4500, 211 रकबा 0.4900, 212 रकबा 0.2900, 213 रकबा 0. 4200, 214 रकबा 0.7800, 217 रकबा 0.4600, 218 रकबा 0.4600 है0 किता 13 रकवा 7.4300 हैक्टेयर व खाता संख्या–102 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–36 रकबा 0. 6700 है० व खाता संख्या–103 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–34 रकबा 0.5300, 35 रकबा 0.1100 है० कित्ता 02 रकबा 0.6400 है० व खाता संख्या–104 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–219 रकबा 0.4700, 220 रकबा 0.3300,222 रकबा 0.3300, 224 रकबा 0.3900, 266 रकबा 0.3300 है0 किता 05 रकबा 1.8500 है0 व संख्या–105 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–40 रकबा 0.2500, 41 रकबा 0.1300, 42 रकवा 0. 0300, 50 रकबा 0.0600, 139 रकबा 2.6100, 140 रकबा 1.1600, 141 रकबा 1. 3900, 206 रकबा 0.4400 है0 किता 8 रकबा 6.0700 हैक्टेयर व खाता संख्या–106 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–223 रकबा 0.4400, 237 रकवा 0. 5900, 238 रकबा 0.4600, 239 रकबा 0.3700, 265 रकबा 0.3400, 267 रकबा 0.2400 है0 किता 06 रकबा 2. 4400 हैक्टेयर व खाता संख्या–107 मे वर्णित आराजी खसरा संख्या–48 रकबा 0.2500 49 रकबा 0.0500, 75 रकबा 0.8100, 76 रकवा 0.3800, 77 रकबा 0.3800 78 रकबा 0.3400, 79 रकबा 0.2700, 81 रकबा 0.3200, 82 रकबा 0.3500 है0किता 09 रकबा 3.1500 हैक्टेयर स्थित चाके ग्राम लामचपुर तहसील गुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थना पत्र में विवादीत आराजी कहलायेगी, वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 सलग्न प्रार्थना–पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

4. यह है कि उक्त वर्णित विवादित आराजी हम वादीगण के बुजुर्ग श्योबक्शसिहं की आराजी थी, तथा हमारे बुजुर्ग श्योवयक्ष का नाम पूर्व की जमाबन्दीयों में दर्ज हो रहा है। हम वादीगण के बुजुर्ग यह है कि उक्त वर्णित विवादित आराज्री हम वादीगण के बुजुर्ग श्योबक्शसिहं के देहान्त के बाद उक्त आराजी बहिरसे बराबर–बराबर गहतावसिहं व गोविन्दसिहं के नाम आ गई, चूकि हमारा बुजुर्ग गोविन्दसिहं के कोई सन्तान पैदा नही हुई थी, जिसके कारण गोविन्दसिहं ने अपना वंश चलाने व अपनी आराजीमात के वारिस के लिए अपने जीवनकाल में प्रतिवादीगण के पिता व दादा व ससुर मृत्तया सवाईसिहं को गोद ले लिया था, जिसका इन्द्राज गोविन्दसिहं की विरासत जो प्रतिवादीगण के पिता, दादा व ससुर सवाईसिहं के नाम दर्ज हुई है, जिसमे दर्ज हो रहा है, प्रतिवादीगण भा पिता व दादा व ससुर सवाईसिहं जो कि गोविन्दसिहं के गोद चला गया था जिसके कारण सवाईसिहं का हम वादीगण के बुजुर्ग महताबसिहं के 1/2 हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं रहा, हम बादीगण के पिता व ससुर व दादा मक्खनसिहं व शिशपालसिहं के हक हिस्से की आराजी से प्रतिवादीगण के पिता, दापदा व ससुर सवाईसिहं का किसी प्रकार संबंध व सरोकार नहीं था। हम वादीगण के बुजुर्ग महताबसिहं के 1/2 हिस्से मे आई आराजी मे हग वादीगण के पिता व दादा व ससुर श्री मक्खनसिहं व शिशपालसिहं का ही 1/2–1/2 हक–हिस्सा बनता था, क्योकि प्रतिवादीगण के पिता व दादा व ससुर सवाईसिहं गोविन्दसिहं के गोद चला गया था, तथा गोविन्दसिहं की मृत्यु के बाद उसनकी विरासत भी सवाईसिहं के नाम दर्ज हुई है, जिसके कारण प्रतिवादीगण के पिता व दादा व ससुर को हम वादीगण के पिता व दादा व ससुर मक्खनसिहं व शिशपालसिहं के हिस्से से किसी प्रकार संबंध व सरोकार नहीं था। किन्तु प्रतिवादीगण के पिता व दादा य ससुर सवाईसिहं जो कि एक चतुर व चालाक प्रवृति का व्यक्ति था, जिसने राजस्व कर्मचारीयो से साज–याग होकर बाला–वाला हम वादीगण के बुजुर्ग महतायसिहं के 1/2 हिस्से की आराजी में भी अपने नाम का अंकन करा लिया, जबकि सवाईसिहं को गोविन्दसिहं के गोद चले जाने पर हमारे बुजुर्ग महताबसिहं के हक–हिस्से की आराजी से किसी प्रकार संबंध व सरोकार नहीं रहा। तथा सवाईसिहं के देहान्त के बाद प्रतिवादीगण ने अपने नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिया। वादीगण अपने बुजुर्ग महताब सिहं के 1/2 हिस्से की आराजी पर शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण 1

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

लगायात 10 के बुजुर्ग सवाईसिहं के नाम का 1/3 हिस्से अंकन हमारे बुजुर्ग महताबसिहं के हक हिस्से की आराजी मेरो आया है उसको हजफ किया जाकर हम वादीगण को हमारे बुजुर्ग महताबसिहं की आराजी के 1/2 हिस्से का बहिस्से बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार पोषित किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जाये।

5. यह है कि हम वादीगण के पिता, ददा व ससुर मक्खनसिहं व शिशपाल सिहं जो कि एक सीधे सादे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे, जिनको प्रतिवादगण के पिता, दादा व ससुर सवाईसिह द्वारा की गई उक्त फर्जकारी का कतई इल्म नही था। तथा हम वादीगण को गलत अंकन की बाबत कतई इल्म नहीं था। दिनांक 25–7–2018 को वादीगण राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी पास गये गणको उक्त गलत नहाल हुआ जिस पर हम वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या लगायत 10 से सम्पर्क किया और राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन कराकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कराने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 ने राजस्व रिकार्ड में हो रहे अपने बुजुर्ग धावरिया के नाम का अंकन व अपने नाम के अंकन की हजफ कराने व राजस्थ रिकार्ड में दुरुस्ती कराने से साफ इन्कार कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में हो रहे गलत अंकन के आधार पर आराजी विवादित को दीगर व्यक्ति अथवा संस्था की रहन, बय, लिज, तिथा इत्यादि से गुन्तकिल करने की ऐलानिया धमकी दी। जबकि राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण 1 लगायात 10 के बुजुर्ग सवाईसिह का नाम व प्रतिवादीगण के नाम का अंकन गलत रूप से दर्ज हो रहा है। यदि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 10 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये तो हम वादीगण के अधिकारो पर कुठाराघात होगा और हम वादीगण को बेजा मुकदमे बाजी में फसना पड़ेगा। जिसके कारण हम वादीगण विवादित आराजी की बाबत प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

6. यह है कि आराजी विवादीत प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की आराजी है जिसमे प्रार्थीगण का हक व हिस्सा कायम है, जिसके कारण बेलेन्स ऑफ कनविनियन्स बहक प्रार्थीगण के हक में है।

2. अनुतोष –अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधआज्ञा पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को जरिये अस्थाई निषेधआज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (खैरथल-तिजारा)

पाबन्द फरमाया जावे कि खाता संख्या 100 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–198 रकबा 0.5300 हे० व खाता संख्या–101 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–142 रकबा 0.6300, 172 रकबा 0.6400, 175 रकबा 0.7800, 197 रकबा 0.5600, 199 रकबा 1.0900, 209 रकबा 0.3800, 210 रकबा 0.4500, 211 रकबा 0.4900, 212 रकबा 0.2900, 213 रकबा 0.4200, 214 रकबा 0.7800, 217 रकबा 0.4600, 218 रकबा 0.4600 है0 किता 13 रकबा 7.4300 हैक्टेयर व खाता संख्या–102 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–36 रकया 0.6700 है० व खाता संख्या–103 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–34 रकबा 0.5300, 35 रकया 0. 1100 है० किता 02 रकबा 0.6400 है० व खाता संख्या–104 में वर्णित्त आराजी खसरा संख्या–219 रकबा 0.4700, 220 रकबा 0.3300, 222 रकबा 0.3300, 224 रकबा 0.3900, 266 रकबा 0.3300 है0 किता 05 रकबा 1.8500 है० व संख्या–105 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–40 रकबा 0.2500, 41 रकबा 0. 1300, 42 रकबा 0.0300, 50 रकबा 0.0600, 139 रकबा 2.6100, 140 रकबा 1. 1600, 141 रकबा 1.3900, 206 रकबा 0.4400 है० किता 8 रकबा 6.0700 हैक्टेयर व खाता संख्या–106 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–223 रकबा 0. 4400, 237 रकबा 0.5900, 238 रकबा 0.4600, 239 रकबा 0.3700, 265 रकबा 0.3400, 267 रकबा 0.2400 है0 किता 06 रकबा 2. 4400 हैक्टेयर व खाता संख्या–107 में वर्णित आराजी खसरा संख्या–48 रकबा 0.2500 49 रकबा 0. 0500, 75 रकबा 0.8100, 76 रकबा 0.3800, 77 रकबा 0.3800, 78 रकबा 0. 3400, 79 रकबा 0.2700, 81 रकबा 0.3200, 82 रकबा 0.3500 है0 किता 09 रकबा 3.1500 हैक्टेयर स्थित वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान के मृतक महताबसिहं के 1/2 हिस्से की आराजी मे वादीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की बाघा पैदा ना करे, नाही वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदालखत पैदा ना करे, प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 10 मुतदाविया आराजी को गलत अंकन के आधार पर किसी दीगर व्यक्ति अथवा बैंक, वित्तीय संस्था को रहन, बय, लिज, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत व मदालत पैदा नही करे, प्रतिवादी संख्या–11 तहसीलदार साहब मुण्डावर आराजी की बाबत कोई दस्तावेज पंजीबद्ध हेतु पेश होने पर पंजीबद्ध ना करे। मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की सम्यक तामील की गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामावतार चौधरी व अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रणवीर सिंह यादव उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने लिखित जवाब पेश किया।

अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 1 बाबत प्रार्थना पत्र है, गलत है, प्रार्थी को कामयाबी की आशा नहीं रखनी चाहिए।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 2 गलत है, स्वीकार नहीं है, प्रार्थी ने दस्तावेज गलत पेश किये है, तथा शपथ पत्र भी गलत है, प्रार्थी का केश प्रायमा फैसाई साबित नहीं होता है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 3 विवादित आराजी बाबत है, जो वाके ग्राम लामचपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 4 इतना सही है कि आराजी पक्षकारान के पूर्वज श्योबक्ससिंह से विरासतन प्राप्त हुयी है। प्रतिवादीगण के दादा, पिता, ससुर सवाईसिंह के पक्ष में उनके प्राकृतिक पिता श्री महताब की फौतगी सन् 1959 में होने पर विरासत सन् 1960 में ग्राम पंचायत मानका द्वारा दर्ज व मंजूर की गयी है, तब से ही अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर सवाईसिंह अपने हिस्से पर काबिज एवं दखिल हो गये और काश्त करने लगे उन्ही के फुट्स पर अप्रार्थीगण आराजी पर काबिज है। अप्रार्थीगण के दादा महताबसिंह के हिस्से में से 1/3 भाग पर विरासत प्राप्त होने के दिन से काबिज एवं दखिल चले आ रहे है, आज भी उक्त हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर बाद में गोविन्दसिंह के गोद सन् 1973 में चले गये और गोविन्दसिंह की फौतगी पर गोविन्दसिंह की विरासत दत्तक पुत्र के रूप में अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर के नाम सन् 1981 में दर्ज हुयी है। इसलिये अप्रार्थीगण मृतक गोविन्दसिंह के हिस्सा 1/2 भाग एवं दत्तक जाने से पूर्व सन् 1960 में विरासत महताबसिंह से प्राप्त 1/3 भाग पर काबिज एवं दखिल चले आ रहे है। इस प्रकार अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा में से 1/6 भाग प्राकृतिक दादा महताबसिंह के हिस्सा 1/2 भाग में से 1/3 भाग के अनुसार व आराजी का 1/2 भाग दत्तक ग्रहिता दादा गोविन्दसिंह का हिस्सा प्राप्त हुआ है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र दायर किया है, प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर को महताबसिंह की विरासत

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कब प्राप्त हुयी और अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर सवाईसिंह गोविन्दसिंह के गोद कब गया यह कानूनी बिन्दू है. जिसको प्रार्थीगण ने छिपाया है, जबकि सही यह है कि अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर सवाईसिंह के प्राकृतिक पिता महताबसिंह सन् 1959 में फौत हुआ और उनकी विरासत तीनो लडको सवाईसिंह, मक्खनसिंह व शिशपालसिंह के सन् 1960 में ग्राम पंचायत मानका द्वारा इंतकाल मंजूर किया गया, उस समय सवाईसिंह, गोविन्दसिंह के गोद नहीं गया था। अप्रार्थीगण के दादा, पिता व ससुर सन् 1973 में गोद गया है, और इसके पश्चात जब गोविन्दसिंह फौत हुये तो सन् 1981 में अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर के नाम दत्तक पुत्र होने के नाते सवाईसिंह के नाम विरासत दर्ज की गयी है। अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर को महताबसिंह की विरासत सन् 1960 में प्राप्त हो गयी थी तब तक अप्रार्थीगण के दादा, पिता, ससुर महताबसिंह का जायज, जीवित पुत्र रहा है, तब तक सवाईसिंह गोद भी नहीं गया था अपने प्राकृतिक पिता महताबसिंह के साथ परिवार में रह रहा था, इसलिये एक बार विरासत में प्राप्त अधिकार पश्चातवर्ती घटना से प्रभावित नहीं होते है। पिता की फौतगी पर एक बार विरासत में जो जायदाद प्राप्त हो जाती है. इसके बाद गोद चला जावे तो उसके विरासत में प्राप्त अधिकार वापिस नहीं हो सकते है। प्रार्थीगण महताबसिंह के हिस्से में से अप्रार्थीगण के नाम हजफ कराने के अधिकारी नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने 60 वर्षों तक राजस्व रिकोर्ड नहीं देखा व किसी सूरत में सम्भव नहीं हो सकता अप्रार्थी के दादा, पिता व ससुर के नाम महताबसिंह की विरासत सन् 1960 में दर्ज हो गयी थी तब से अब तक प्रार्थीगण ने राजस्व रिकोर्ड नहीं देखा और इन्द्राज की जानकारी नहीं होने की बात मिथ्या व बनावटी है। प्रार्थीगण ने दीगर मुकदमें भी किये है, केडिट कार्ड भी बनवाये है। इसलिये हाल इन्द्राजात की जानकारी प्रार्थीगण को भलिभांती सालो साल से रही है। अप्रार्थीगण रिकोडेर्ड खातेदार काबिज काश्तकार है, अप्रार्थीगण के पिता. दादा व ससुर के नाम आराजी विधिक अधिकार के तहत विरासत में दर्ज हुयी है, राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राजात अनायास नहीं हुये है, इसलिये प्रार्थीगण रिकोडेर्ड खातेदार काबिज काश्तकार को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। आराजी मुतनाजा में से कुछ आराजी दिल्ली बम्बई उद्योगिक कोरिडोर द्वारा अवाप्त की

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

जा चुकी है, इसलिये अदालत श्रीमान को प्रार्थना पत्र विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है।

6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण के पूर्वज विधिक अधिकारो के आधार पर आराजी के खातेदार काश्तकार है, गलत इन्द्राज नहीं हुआ है, अनायास इन्द्राज परिवर्तन नहीं हुये है, विधिक अधिकारों के बाबत अप्रार्थीगण के पिता, दादा व ससुर के नाम जायंदा पुत्र के नाते विरासत महताबसिंह की फौतगी पर दर्ज व मंजूर हुयी है। विरासत में प्राप्त आराजी व जायदाद पश्चातवर्ती घटना से वापिस नहीं हो सकती इसलिये प्रार्थीगण अब कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है।

7. यह है कि प्रार्थना पत्र का पैरा सं० 7 गलत है, स्वीकार नहीं है।

4. बहस वकुलाय सुनी गई।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवनलोकन, बहस पर मनन किया गया।

6. अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णयात् मार्ग दर्शक बिन्दूओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है –

अ– प्रथम दृष्टया मामला :–विवादित आराजी दादालाई होना राजस्व रिकोर्ड से दाईत है ऐसे स्थिति में पक्षकारान के अधिकार वाद के विराचारण के दौरान साक्ष्य/दस्तावेजात से तैय किये जाएगे। विवादित आराजी दादालाई होने के कारण पक्षकारान में विवाद व अन्य कोई मुकदमा ना हो इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

ब– अपूर्तनीयक्षति का सिद्धान्त :–विस्तृत विवेचन प्रथमदृष्टया मामला बिन्दू में किया जा चुका है। जो प्रार्थी के पक्ष पाया गया है। आराजीयात् दादालाई होने के कारण यदी अप्रार्थीगण द्वारा आराजी अन्य को स्थानान्तरित/मुन्तकित कर दी जाती है तो प्रार्थीगण के अधिकारो का हनन होने की संभावना है। जिसका मुद्रा में मुल्याकंन नहीं किया जा सकता, न ही किसी तरह से पूर्ती की जा सकती है। अतः अपूर्तनीयक्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

स– सुविधा संतुलन का सिद्धान्त :–उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुए है। प्रार्थी अपने अभिकथनों में कहता है कि विवादित भूमि उसकी दादालाई है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दस्तावेजात से यह प्रतीत होता है कि आराजी दादालाई है। इसलिए सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

7. अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.08.2018 से मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार दलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)